



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 643644, 213072 फ़ैक्स 424329, 213073

www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. / प्रशा. / वि.प. / बैठक / 16

बिलासपुर, दिनांक / 05 / 2016

पंजीकृत डाक

प्रति,

1. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी
निदेशक
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
2. डॉ. एल. पी. पटैरिया
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)
3. प्रो. एस. के. जाधव
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
4. डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल
प्राध्यापक
इतिहास अध्ययन विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
5. डॉ. आर. प्रसाद
प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (M0प्र0)

7. श्री रमेश नैयर
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर
रायपुर (छ.ग.)
8. डॉ. बी. डी. मिश्रा
सह आचार्य
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)
9. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, खंड सी
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 19 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 19 वीं बैठक दिनांक 16/05/2016 के कार्यवाही विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

- सही -

कुलसचिव

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पृ. क्रं. 3115 (2)/प्रशा./वि.प./बैठक/16
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक 25/05/2016

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
- ✓ 2. संबंधित विभाग प्रमुख अकादमी/परीक्षा/गोपनीय एवं स्थापना को कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
3. नस्ती हेतु।

R. S. S. S.
कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण

विद्यापरिषद् की 19 वीं बैठक

दिनांक 16/05/2016

समय : 12:00 बजे दोपहर

स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 19 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 19 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 16/05/2016 को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. डॉ. ललित प्रकाश पटैरिया ✓ — सदस्य
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
3. डॉ. बी. डी. मिश्रा ✓ — सदस्य
सह आचार्य
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
4. डॉ. राजकुमार सचदेव — सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. डॉ. श्रीमती विभा जोशी ✓ — सदस्य
निदेशक
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
2. आयुक्त ✓ — सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

R. W. D. S.

B. G. L.

3. डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल ✓
प्राध्यापक
इतिहास अध्ययन विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.) — सदस्य
4. प्रो तीर्थेश्वर सिंह ✓
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0) — सदस्य
5. प्रो. एस. के. जाधव ✓
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.) — सदस्य
6. डॉ. आर. प्रसाद ✓
प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.) — सदस्य
7. श्री रमेश नैयर ✓
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.) — सदस्य

विद्या परिषद की बैठक निर्धारित गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई तथा आधा घंटा के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई।

सर्वप्रथम कुलपति जी के द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न लिखित प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये -

प्रस्ताव क्रं 1 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 18 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय - विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 18 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण सभी सम्मानीय सदस्यों को प्रेषित किया गया था। 18 वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान प्रस्ताव क्रमांक 04 में निर्मित अध्यादेश क्रमांक

39(5) में "स्वः श्रीमती ईश्वरी देवी" के स्थान पर त्रुटि सुधार करते हुये "स्वः श्रीमती किशोरी देवी" संशोधन किया गया। विद्या परिषद् द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 अकादमिक कैलेण्डर 2016-2017 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - सदस्यों ने चर्चा उपरांत अकादमिक कैलेण्डर 2016-2017 में निम्नानुसार संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया -

1. संत्रात परीक्षाओं का आयोजन 15 जून से 31 जुलाई, 2017 रखा जाये।
2. परीक्षा परिणाम की घोषणा 15 अक्टूबर, 2017 तक रखा जाये।
3. द्वितीय/अंतिम वर्ष में प्रवेशित छात्रों को अध्ययन सामग्री वितरण की तिथि 16 अक्टूबर, 2016 से 31 जनवरी, 2017 रखा जाये।

प्रस्ताव क्रं. 3 अध्यादेश क्रमांक 02 की कंडिका 2.12 में संशोधन पर विचार।

निर्णय - विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 4 अकादमिक वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित सभी पाठ्यक्रमों के शुल्क में रू. 100/- के वृद्धि पर विचार।

निर्णय - विद्या परिषद् ने महसूस किया कि अध्ययन सामग्री के निर्माण एवं परिवहन की कीमत प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इसके साथ ही अध्ययन केन्द्रों के स्थापना व्यय सहित परीक्षा पारिश्रमिक व्यय को ध्यान में रखते हुये नीतिगत निर्णय लिया गया कि अकादमिक वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित सभी पाठ्यक्रमों के शुल्क में रू. 100/- की वृद्धि की जाये। साथ ही आगामी प्रत्येक वर्ष में सभी पाठ्यक्रमों की फीस में तीन प्रतिशत (रू. 10 की पूर्णांक में) वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव क्रं. 5 राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन मंडल के कार्यवाही विवरण पर विचार।

निर्णय - विद्या परिषद् ने अध्ययन मंडल की अलग से लोक प्रशासन विभाग की स्थापना संबंधी निर्णय को अस्वीकार करते हुये निर्णय लिया कि लोकप्रशासन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को राजनीति विज्ञान विभाग के अधीन संचालित किया जाये। शेष कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

R. S. Sahay

प्रस्ताव क्रं. 6 अध्यादेश क्रमांक 06 (DCA) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा आंशिक संशोधन सहित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 7 अध्यादेश क्रमांक 07 (PGDCA) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा संशोधन सहित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 8 अध्यादेश क्रमांक 10 (BA) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये निर्णय लिया गया कि यह संशोधन वर्ष 2016–2017 से लागू किया जाये।

प्रस्ताव क्रं. 9 अध्यादेश क्रमांक 13 (B.LIB.&I.SC.) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा संशोधन सहित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 10 अध्यादेश क्रमांक 14 (MA) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये निर्णय लिया गया कि यह संशोधन वर्ष 2016–2017 से लागू किया जाये।

प्रस्ताव क्रं. 11 अध्यादेश क्रमांक 20 (B.ED.) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा संशोधन सहित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 12 अध्यादेश क्रमांक 22 (PGDYS) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा संशोधन सहित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 13 अध्यादेश क्रमांक 27(D.ED.) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा अध्यादेश का नाम D.EL.ED. करने तथा ड्राफ्ट को आंशिक संशोधन सहित अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 14 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 40 (P.G. Diploma in Journalism and Mass Communication/ Broadcast Journalism & News Media/ Advertising and Public Relations) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा संशोधन सहित अध्यादेश क्रमांक 40 (A) P.G. Diploma in Journalism and Mass Communication, अध्यादेश क्रमांक 40 (B) P.G. Diploma in Broadcast Journalism & News Media तथा अध्यादेश क्रमांक 40 (C) P.G. Diploma in Advertising and Public Relations अनुमोदन किया गया।


R. Wadhwa


15/11/17

प्रस्ताव क्रं. 15 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 41 (P.G. Diploma in Marketing Management/Human Resource Management/Hotel Management /Tourism Management) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा संशोधन सहित अध्यादेश क्रमांक 41 (A) P.G. Diploma in Marketing Management, अध्यादेश क्रमांक 41 (B) P.G. Diploma in Human Resource Management, अध्यादेश क्रमांक 41 (C) P.G. Diploma in Hotel Management तथा अध्यादेश क्रमांक 41 (D) P.G. Diploma in Tourism Management का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष की प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव / सचिव


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष